संख्या-65/2023/1179/001-E-1721372 Reapp 15FC

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 27 जून, 2023

विषयः- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत **वर्ष 2023-2024** हेतु Million Plus शहर के लिये संस्तुत SWM/Air Quality Improvement मद की **धनराशि रू0 6382.00 लाख** 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों **(नगर निगम, प्रयागराज, लखनऊ, एवं वाराणसी)** (Urban Agglomeration) एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग के पत्र सं0-एफ0सी0सी0ए0-108(1)/दस-2023-02/2020, दिनांक-19.06.2023 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 F.15(45)FC-XV/FCD/ 2020-25 दिनांक-16.06.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** तदक्रम में शासनादेश संख्या-63/2023/1167/002-47J-13, दिनांक-23.06.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत Million Plus शहरों के लिये SWM/Air Quality Improvement मद में उपलब्ध/अवशेष धनराशि में से **कुल धनराशि रू0 6382.00 लाख (रू0 तिरसठ करोड बयासी लाख मात्र)**10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों **(नगर निगम, प्रयागराज, लखनऊ, एवं वाराणसी)** (Urban Agglomeration) एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि उनके द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों/नीतियों का अक्षरशः पालन करते, भारत सरकार के पत्र दिनांक-16.06.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्धारित मानक के अनुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों (नगर निगम, प्रयागराज, लखनऊ एवं वाराणसी) (Urban Agglomeration) एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड को निर्धारित समयान्तर्गत (10 कार्य दिवसों के भीतर) उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त उक्त धनराशि का उपभोग वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ15(2) एफसी-XV/एफसीडी/2020-25, दिनांक-28.07.2021 द्वारा निर्गत Operational Guideline के प्राविधानों एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MOEF & CC) द्वारा समय-समय पर की गयी संस्तुतियों/15वें वित्त आयोग के अध्याय-7 (Chapter-7) द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार ही अनुमन्य होगा।

(3) उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण करके निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नागर स्थानीय निकायों के 15 वें वित्त आयोग से संबंधित खुले खाते, में इलेक्ट्रानिक माध्यम से निर्धारित समयान्तर्गत अन्तरित कराया जाय।

(4) केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तर-5.3 के बिन्दु संख्या-XII में मिलियन प्लस सिटीज के अतिरिक्त अन्य सिटी हेतु धनराशि के वितरण की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके अनुसार धनराशि का आवंटन किया जायेगा।
(i) कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) के मध्य पारस्परिक आवंटन Inter-Se Distribution केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कैण्टोनमेन्ट बोर्ड की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।
(5) The State Govt (State finance Department) shall transfer fund directly to all Urban Local Bodies within the MPC/UA (s) mentioned above within ten working days of receipt from the Union Government without any deduction. In the case of Urban Agglomerations which contains more than one Non Million-Plus city, the Concerned State Government, shall transfer the fund to one Urban Local Body as the nodal entity. This nodal entity will also have the responsibility of achieving the performance indicators for the entire agglomeration.
(6) Any delay beyond ten working days will require the State Government to release the grant with interest as per the average effective rate of interest on market borrowings/State Development Loans (SDLs) for the previous year.
(7) FC-XV recommended above mentioned Ambient Air Quality grant for Million-Plus Cities is intended to be utilized for air quality improvement measures as stipulated in the approved City Action Plan (CAP), on achieving measurable outcomes in reducing Concentration of particulate matter and for the measures stipulated in the tripartite Memorandum of Understanding (MoU) for improving air quality.
(8) The Ambient Air Quality Grant for Million-Plus Cities/UAs will be governed as per the provisions in the Operational Guidelines issued on the subject by the Department of Expenditure vide Letter No. 15(2)FC-XV/FCD/2020-25, dated 10-08-2021 and recommendations contained in chapter-7 of FC-XV Report for the award period 2021-26.
(9) The State Governments/urban Local bodies (recipient) shall have to ensure that a separate Accounts of each ULB has been opened for FC-XV recommended Ambient Air Quality grant linked with PFMS and maintained hereafter for every transaction for the full award period.
(10) धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या व दिनांक सहित निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
(11) टेण्डर की कार्यवाही केवल अनुमोदित कार्यों हेतु की जायेगी।
(12) इस अनुदान के लेखों का रख-रखाव संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(13) 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत किये जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने होगे। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा।
(14) उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर निगम के संबंध में नगर आयुक्त एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के संबंध में मुख्यकार्यपालक अधिकारी/मुख्य अधिशासी अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ, महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3 . नगर निगमों के संबंध में संबंधित नगर आयुक्त एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के संबंध में संबंधित मुख्यकार्यपालक अधिकारी/मुख्य अधिशासी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाये। दिशा-निर्देशों से हट कर किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। इसके लिये संबंधित नगर आयुक्त/मुख्यकार्यपालक अधिकारी/अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2217808000402 (प्रयागराज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000402 प्रयागराज	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	98,00,000 (रुपये अट्ठानबे लाख मात्र)
	कुल			**98,00,000 (रुपये अट्ठानबे लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217808000405 (लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000405 लखनऊ	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	34,20,00,000 (रुपये चौंतीस करोड़ बीस लाख मात्र)
	कुल			**34,20,00,000 (रुपये चौंतीस करोड़ बीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217808000407 (वाराणसी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000407 वाराणसी	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	28,64,00,000 (रुपये अट्ठाईस करोड़ चौंसठ लाख मात्र)
	कुल			**28,64,00,000 (रुपये अट्ठाईस करोड़ चौंसठ लाख मात्र)**

महायोग	63,82,00,000 (रुपये त्रेसठ करोड बयासी लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या–E-9-49-X-2023-24, दिनांक-27 जून, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मो0 वासिफ)

अनु सचिव ।

संख्या-65 /2023/1179/001-E-1721372 Reapp 15FC, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **प्रधान महालेखाकार** (रिपोर्ट ब्रांच)/ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) , प्रयागराज।
2. **वरिष्ठ उपमहालेखाकार**, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. **अपर मुख्य सचिव**, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. **निदेशक (एफसीडी)**, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
5. **मुख्य कोषाधिकारी**, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश शासन।
6. **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9**/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
7. **वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग/वित्त संसाधन** (केन्द्रीय सहायता अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)

अनु सचिव ।

बी एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A009-20232024-E-1721372 Reapp 15FC

विषयः- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश के Million Plus Cities प्रयागराज, लखनऊ एवं वाराणसी हेतु गाजियाबाद से पुनर्विनियोग कर धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217808000403 (गाजियाबाद)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2,01,00,00,000 रुपये दो अरब एक करोड़ मात्र	75,00,00,000 रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र	-63,82,00,000 रुपये तिरसठ करोड़ बयासी लाख मात्र	1,37,18,00,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217808000407 (वाराणसी)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,21,00,00,000 रुपये एक अरब इक्कीस करोड़ मात्र	28,64,00,000 रुपये अट्ठाईस करोड़ चौंसठ लाख मात्र	1,49,64,00,000	2023-2024
037	2217808000402 (प्रयागराज)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,02,00,00,000 रुपये एक अरब दो करोड़ मात्र	98,00,000 रुपये अट्ठानवे लाख मात्र	1,02,98,00,000	2023-2024
037	2217808000405 (लखनऊ)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2,46,00,00,000 रुपये दो अरब छियालीस करोड़ मात्र	34,20,00,000 रुपये चौंतीस करोड़ बीस लाख मात्र	2,80,20,00,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहेः-

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

(1) 2217808000403 (गाजियाबाद) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अपेक्षित केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण बचते हो रही हैं।

(2)2217808000407 (वाराणसी), 2217808000402 (प्रयागराज) एवं 2217808000405 (लखनऊ) के अन्तर्गत भारत सरकार से आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्तावों के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई.संख्या–बजट-1-15 2023-24, दिनांक-23 जून, 2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

सिद्धार्थ श्रीवास्तव
अपर निदेशक।

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

संख्या : आर.ई.संख्या–बजट-1-15 2023-24, दिनांक-23 जून, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1/2)।
6- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

Concurrence Sanction Report

Amount In : (Amounts in Lakhs of rupees)

नगर विकास

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-E-1721372 Reapp 15FC **स्वीकृति तिथि:** 26/06/2023
यू0 ओ0 संख्या: A009-20232024-001-E-1721372 Reapp 15FC
अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग
लेखाशीर्षक: 2217808000402 - प्रयागराज

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	10,200.00	10,200.00	98.00	98.00
योग :	**10,200.00**	**10,200.00**	**98.00**	**98.00**

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-E-1721372 Reapp 15FC **स्वीकृति तिथि:** 26/06/2023
यू0 ओ0 संख्या: A009-20232024-001-E-1721372 Reapp 15FC
अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग
लेखाशीर्षक: 2217808000405 - लखनऊ

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	24,600.00	24,600.00	3,420.00	3,420.00
योग :	**24,600.00**	**24,600.00**	**3,420.00**	**3,420.00**

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-E-1721372 Reapp 15FC **स्वीकृति तिथि:** 26/06/2023
यू0 ओ0 संख्या: A009-20232024-001-E-1721372 Reapp 15FC
अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग
लेखाशीर्षक: 2217808000407 - वाराणसी

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	12,100.00	12,100.00	2,864.00	2,864.00
योग :	**12,100.00**	**12,100.00**	**2,864.00**	**2,864.00**

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव